(29)

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

क्रमांकः एफ.61(98) SSAAT / मोनेटिरिंग कार्य / 2019–20 / 368 जयपुर दिनांकः 03/02/2021

कार्यालय आदेश (आदेश क्रमांक 18/2021)

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु कार्यालय द्वारा आदेश संख्या 11 दिनांक 9.12.2020 जारी किया गया था तथा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के लिए दिसम्बर,2020 एवं जनवरी,2021 का अंकेक्षण कलैण्डर जारी किये जा चुके हैं। दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 के अंकेक्षण कार्य की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में सभी जिलों से प्राप्त हो रही है जिनके आधार पर मुख्यालय स्तर पर समस्त जिला प्रभारियों द्वारा अंकेक्षण कार्य के पेटे भुगतान कार्यवाही की जा रही है। विकास अधिकारियों से प्राप्त प्रपत्र 8 के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है परन्तु इस कार्य में अभी गति प्रदान किया जाना आवश्यक है। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य के पेटे मानदेय भुगतान की प्रभावी मॉनेटरिंग किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में समस्त सहायक लेखाधिकारियों (प्रभारी अधिकारियों) को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सभी संबंधित जिलों के मानदेय भुगतान बिलों की साप्ताहिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र 11(अ) में भरकर प्रस्तुत करेगें तथा आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयध्यक्ष द्वारा भुगतान स्वीकृतियों तथा ट्रेजरी से मानदेय भुगतान की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र 11(ब) में भरकर आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

संलग्न– प्रपत्र 11 अ व 11 ब

(रामावतार शर्मा)
निदेशक SSAAT

क्रमांकः एफ.61(98) SSAAT / मोनेटिरिंग कार्य / 2019–20 / जयपुर दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष (SSAAT) को पालनार्थ।
5. लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) (SSAAT) को पालनार्थ।
6. आहरण वितरण अधिकारी, SSAAT
7. सहायक लेखाधिकारी प्रथम / द्वितीय (समस्त) (SSAAT) को पालनार्थ।
8. प्रोग्रामर / सूचना सहायक / कनिष्ठ लेखाकार / कैशियर / बिल क्लर्क, SSAAT को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक SSAAT